बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 16/10/2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–222/2026..2976...../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9713/2026 मधुबाला देवी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–09.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"....Considering the above, the petitioners are directed to file representation before the competent authority, along with all supportive documents and the judgment relied upon by them (Annexure-P/6), within four weeks from today. On receipt thereof, the authorities are obliged to adjudicate the claims of the petitioners by passing a reasoned and speaking order within a further period of eight weeks. The benefits to which the petitioners are entitled shall also be extended within the same period....."

3. अंकनीय है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–9713/2026 मधुबाला देवी एवं अन्य एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वादीगण द्वारा अभ्यावेदन समर्पित की गई है।

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादीगण को अपना पक्ष समर्पित करने हेतु सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक–14.09.2026 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमें वादीगण अनुपस्थित रहें। पुनः वादीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दिनांक–24.09.2026 तथा दिनांक–09.10.2026 को सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमें वादीगण उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये।

5. वादी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन तथा रिट में उपलब्ध तथ्यों/अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता–स्व0 मदन कुमार पाठक की नियुक्ति, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–210/2010 (34540 कोटि के सहायक शिक्षक) के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक–1297/316 दिनांक–23.05.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के ज्ञापांक–07/विविध–73/2018 अंश 'क'–1136 दिनांक–30.08.2019 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में उनके आवंटित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक–3053 दिनांक–08.11.2019 द्वारा सामान्य विषय में म0वि0 जानकी नगर, बनमनखी मे की गयी।

6. वादीगण का कथन है कि उनके पिता– स्व0 मदन कुमार पाटक की नियुक्ति 34540 कोटि के सहायक शिक्षक पद पर विज्ञापन सं0–210/2010 के आलोक में दिनांक–08.11.2019 को किया गया। जबकि उनके पिता के बैच के समरूप शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष

2012 में ही की गयी। अतः उनके पिता स्व0 पाटक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 2008 (2007) SCC 728 Balwant Singh Narwal & Othrs. Vs State of Haryana and Othrs. के आलोक में 2012 से वरीयता क्रम, वेतन वद्धि तथा ACP का लाभ प्रदान किया जाय।

7. विदित हो कि स्व0 मदन कुमार पाठक, भूतपूर्व सहायक शिक्षक की नियुक्ति दिनांक–13.11.2019 को 34540 कोटि के सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी एवं उनका कुल सेवा अवधि 02 वर्ष 01 माह 18 दिन है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय पत्रांक–985 दिनांक–08.10.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्व0 पाठक के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

8. ज्ञाताव्य हो कि विभागीय निदेशानुसार 10 वर्ष की सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में MACPS– 10 का लाभ दिया जाना है। स्व0 मदन कुमार पाठक, भूतपूर्व सहायक शिक्षक का सेवावधि 10 वर्ष पूर्ण नहीं होने की स्थिति में MACPS– 10 का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

9. अंकनीय है कि प्रस्तुत मामले को माननीय न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15663/2022 संतोष कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समरूप मानते न्यायादेश पारित की गयी। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–15663/2022 में दिनांक–08.12.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...*3. Having regard to the same the present Writ Petition is allowed. Consequently the Respondent-Authority is directed to grant the same benefits of seniority, annual increment, ACP etc. as has been extended to the similarly situated employees who were appointed earlier pursuant to the said advertisement.*

4. The authority shall endeavour to calculate and pay the benefits as expeditiously as possible, preferably within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order....."

उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA No.–429/2026 दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय में लम्बित है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादीगण के दावे को LPA No.–429/2026 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित मानते हुए मामले को निस्तारित किया जाता हैं।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु0–01–222/2026 2976 / पटना, दिनांक 16/10/2026

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. Madhubala Devi Daughter of Late Madan Kumar Pathak, Resident of Village- Kismat Barwa, P.O.- Ashawn, P.S.- Andar, District- Siwan, presently residing at Don Buzurg, Siwan.
2. Madhuri Kumari, Daughter of Late Madan Kumar Pathak, Resident of Village- Kismat Barwa, P.O.- Ashawn, P.S.- Andar, District- Siwan, presently residing at Village- Khurd Bhaluan, P.O Khanpur Ekma, Khanpur, District- Saran, Bihar.
3. Sudhanshu Kumar Alias Vikash Kumar Pathak, Son of Late Madan Kumar Pathak, Resident of Village- Kismat Barwa, P.O. As, Via- Andar, District- Siwan.
4. Priyanshu Kumari Pathak, Daughter of Late Madan Kumar Pathak, Resident of Village- Kismat Barwa, P.O.- Ashawn, P.S.- Andar, District- Siwan. Presently Residing at Bhaluaa Khurad, P.O.- Khanpur, District- Saran.
5. Himansu Kumar Pathak, Son of Late Madan Kumar Pathak, Resident of Village- Kismat Barwa, P.O.- Andar, District- Siwan.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–222 / 2026 2976 / पटना, दिनांक 16/10/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।